नाहर सिंह

बनाम

भारतीय खाद्य निगम वगैरह

2007 की पुनर्विलोकन याचिका (C) संख्या 285

इन

(2008 की सिविल अपील संख्या 2273)

मार्च 31, 2008

(एस.बी. सिन्हा और मारकाण्डेय काजू जे.जे.)

सेवा कानूनः

अनुशासनात्मक कार्यवाही- कदाचार अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड- एफसीओई के गेहूं गोदाम में सहायक ग्रेड क्लर्क होने का दोषी- स्टॉक की कमी का पता चला - HELD:

जाँच अधिकारी की रिपोर्ट की कमी के लिए दोषी जिम्मेदार था, को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता है- सभी प्राधिकारी ने निष्कर्ष की पुष्टि की, उच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप करने से उचित ही इनकार कर

दिया- अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई मामला नहीं बनता- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 136 और 226

अपीलकर्ता प्रतिवादी के भारतीय खाद्य निगम के एक गोदाम में सहायक ग्रेड क्लर्क था। उक्त गोदाम की जाँच करने पर अन्य बातों के साथ 295 बोरी गेहूं कम पाये गये। गोदाम के प्रभारी के अलावा अपीलकर्ता और दो अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। जाँच अधिकारी ने अपीलकर्ता को आरोपों का दोषी पाया अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया। अपीलार्थी की विभागीय अपील, पुनर्विलोकन आवेदन तथा रिट याचिका खारिज होने पर उसने विशेष अनुमति द्वारा अपील दायर की, जो अभियोजन पक्ष होने के कारण खारिज कर दी गई। हालँकि, अपीलकर्ता द्वारा अपील दायर पुनर्विलोकन याचिका पर विचार किया गया और अपील की सुनवाई गुणावगुण के आधार पर की गई।

अपीलकर्ता की और से यह तर्क दिया गया कि विभागीय कार्यवाही में गोदाम प्रभारी को ही कमी के लिए जिम्मेदार पाया गया; और अपीलकर्ता के खिलाफ केवल अनुमानों के आधार पर कार्रवाही की गई थी और इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बिना विवेक का प्रयोग किये बिना पारित किया गया आदेश रदद किये जाने योग्य था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यह कहना सही है कि अपीलकर्ता का गेहूं की कमी से कोई लेना-देना नहीं था। जाँच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता 295 बैग गेहूं की कमी के लिए भी जिम्मेदार था। छापे के दौरान उनका आचरण और जिस तरह से कमियाँ हुई, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनके सक्रिय समर्थन के बिना, अकेले प्रभारी उक्त कदाचार का कारण नहीं बन सकते थे। जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को प्रतिकूल या अनुचित नहीं कहा जा सकता, इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई। अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई पुनर्विलोकन याचिका भी उपयुर्क्त प्राधिकारी द्वारा खारिज की गई है। उच्च न्यायालय द्वारा भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त परिणाम से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई मामला नहीं बनता है। (para 13-15] [732-G-H; 733-A-C])

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2007 की पुनविर्लोकन याचिका संख्या 285

2008 की सिविल अपील संख्या 2273

पी.एन. मिश्र, एस.पी. शर्मा, अपीलकर्ता की और से।

अजित पुडुस्सेरी, प्रतिवादी की और से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1 दिनांक 12.2.2007 रिकोल किया।

2. अनुमति दी गई।

3. अपीलकर्ता भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडारण डिपो में से एक में सहायक ग्रेड-III (एजी-III) था। दिनांक 7.1.1980 एवं 22.1.1980 की अवधि के दौरान भौतिक सत्यापन दल द्वारा विशेष भौतिक सत्यापन किये जाने पर 295 बोरी गेहूं एवं 195 बोरी बीटीबी श्रेणी के गायब पाये गये।

4. भूप सिंह नामक व्यक्ति गोदाम का यूनिट प्रभारी था। अपीलकर्ता, रतन सिंह और एक कुँवर सिंह वहाँ सहायक ग्रेड क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। उक्त डिपो में कमी की आशंका थी। गोदामों को सील कर दिया गया। भौतिक सत्यापन दल पीवीएस द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। उक्त गोदाम में 7.1.1980 एवं 22.1.1980 की अवधि के दौरान स्टॉक जाँच की गई थी। यूनिट नंबर 1, जिसके प्रभारी भूप सिंह थे, में 295 बैग गेहूं और 195 बैग बोरियां कम पाई गई।

सतर्कता रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु को श्री पंछी द्वारा सत्यापित किया गया था। भूप सिंह के अलावा नाहर सिंह और कुवँर सिंह वहाँ तैनात थे। गेहूं के 12 ढेरों में कमी व अधिकता पाई गई। कुल कमी 295 बोरी गेहूं में पाई

गई और अधिक मात्रा केवल 11 बोरी में पाई गई। ढेर की ऊपरी परतों पर कमी पाई गई जो जमीन/नीचे से दिखाई नहीं दे रही थी। केवल स्टैक नंबर 4/16 और 1/11 को छोड़कर ढेर, जो की आंशिक रुप से प्रयुक्त ढेर थे।

5. उपरोक्त भूप सिंह एवं अन्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

अपीलकर्ता के खिलाफ लगाये गये आरोप सतर्कता विभाग द्वारा किए गए उक्त निरीक्षण की रिपोर्ट और श्री आई.डी. नोटियल सहायक प्रबन्धक सतर्कता जिसमें खाद्य भण्डारण डिपो, साहिबाबाद के पूरे स्टॉक द्वारा दिये गये कथनों का संकलन शामिल है, के रिपोर्ट के आधार पर थे। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता को आरोपों का दोषी पाया गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 18.4.1986 के आदेश द्वारा निगम की सेवाओं से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाया। जिसके विरूद्ध दायर विभागीय अपील भी अपीलीय प्राधिकरण ने सितंबर 1986 में खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ दायर की गई पुनर्विलोकन याचिका दिनांक 22.11.1987 खारिज की गई।

6. अपीलकर्ता ने उसके पश्चात इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जो भी आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.5.2005 को खारिज की गई।

7. अपीलकर्ता की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर जिम्मेदार ठहराया की उसने इस बारे में उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित नहीं किया और मामले की दृष्टि से आक्षेपित निर्णय अरक्षणीय है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया की सभी संबंधित अधिकारी ने केवल भूप सिंह को कमियों के लिए जिम्मेदार पाया और अपीलकर्ता के खिलाफ केवल अनुमानों के आधार पर कार्रवाई की गई है। यह निवेदन किया गया था कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बिना सोचे-समझे आदेश पारित कर दिया है और इस प्रकार, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

8. हम ध्यान दे सकते हैं कि भूप सिंह द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संक्षेपतः दिनांक 12.7.2007 के आदेश से खारिज कर दी गई।

9. अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका उसी दिन सूचीबद्ध की गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं आने पर विशेष अनुमति याचिका डिफ़ाल्ट के आधार पर खारिज की गई थी। अपीलकर्ता ने पुनर्विलोकन आवेदन पेश किया कि उसके अधिवक्ता को गलतफहमी हो गई थी कि उसका प्रकरण COURTNIC जाँच के आधार पर दिनांक 19.2.2007 को सूचीबद्ध दिखाया गया था। उक्त तर्क के आधार पर हमने सर्वोच्च न्यायालय

की रजिस्ट्री से रिपोर्ट तलब की और यह ज्ञात हुआ कि अपीलकर्ता का तर्क सही नहीं है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि पक्षकार को मामले की तारीख का नोटिस दिया गया था।

10. हमने पुनर्विलोकन याचिका पर विचार किया और अपीलकर्ता को गुणावगुण के आधार पर सुना।

11. यह सही हो सकता है कि भूप सिंह गोदाम के प्रभारी थे, लेकिन जिस तरह से कमी हुई है वह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह अपीलकर्ता और अन्य कर्मचारियों के सक्रिय समर्थन या मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता था। जबकि श्री आई. डी. नोटियाल की रिपोर्ट के अनुसार 195 बोरी गेहूं की कमी का जिम्मेदार भूप सिंह को बताया था और 295 गेहूं के बोरे की कमी के बारे में यह कथन किया गया कि:

> "सामान्य अवलोकन व विभिन्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इकाई प्रभारी, ए.एम (डिपोट) की संलिप्तता इकाई नंबर 1 के स्टॉक व चौकीदार के अलावा, इंकार नहीं की जा सकती है।"

12. श्री पंछी की रिपोर्ट जाँच अधिकारी के समक्ष साबित हो गई थ। वह विभाग की और से गवाह के रूप में परिक्षित हुए। अपनी रिपोर्ट में अन्य तथ्यों के साथ जाँच अधिकारी द्वारा यह माना गया कि:

"(सी) श्री नाहर सिंह भी उन अधिकारियों में से एक है जो ढेरों के बिखरने का भौतिक सत्यापन नहीं करवाना चाहते थे और उस पर आपत्ति जाहिर की थी। श्री सूरजभान, एएम (डी) व श्री भूप सिंह इकाई प्रभारी द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में एच.एस. पंछी ने यह कथन किये थे।

(डी) जिस तरह से कमी देखी गई है, उससे चोरी की संभावना को खारिज कर दिया गया है क्योंकि पीवी टीम द्वारा 4 अलग-अलग चैंबरों में 12 अलग-अलग स्टैक में कमी/अधिकता का पता लगाया गया था (और शीर्ष परतों को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया गया था कि परिधि पर कोई कमी दिखाई नहीं दे रही थी जब तक कि कोई नहीं गया) ढेर के शीर्ष पर। चोर इस तरह से काम नहीं करेंगे और न ही अकेले इकाई प्रभारी के लिए अपने यूनिट स्टॉक की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना 4 अलग-अलग कक्षों में 12 अलग-अलग ढेरों में कमी पैदा करना संभव है।

(ई) इकाई प्रभारी और सीओ सहित उनके कर्मचारियों द्वारा संयुक्त प्रतिनिधित्व कि गोदाम की चाबियां एएम डी की टेबल दराज में रखी गई थीं उनकी मिलीभगत का एक सबूत है, यह दलील ठोस नहीं है और जाहिर तौर पर खुद को संरक्षक के

दर्जे और ढेर में कमी की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए दी गई है। दिनांक 22.1.1980 का संयुक्त अभ्यावेदन Exb.P-3 के अनुलग्नक में से एक है पृष्ठ 4 पर कार्यवाही के अंतिम पैरा में पीडब्लू की प्रतिपरीक्षा की गई है। कुंजी-सिद्धांत के आधार नहीं बनने के कारण इस प्रकार हैं अंतर्गत:

(1)से (3)...

(4) साथ ही, यह भी दिलचस्प है कि इस तरह का पत्र 22.1.1980 को तैयार किया जाना चाहिए था, यानी वह दिन जब पीवी संपन्न हुई थी।

श्री भूप सिंह, एजी-1 (डी) का यह बयान और कुछ नहीं बल्कि श्री सूरजभान, एएम (डी) को शामिल करने के लिए उनके कर्मचारियों की मिलीभगत से की गई एक सोच है। मेरे विचार से जब श्री भूप सिंह और कंपनी को यह एहसास हुआ कि संरक्षक और परिचालन स्टॉक होने के नाते उन्हें निगम के इतने बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदारी ठहराया जाएगा तो उन्होंने सोचा कि जिम्मेदारी एएम (डी) पर स्थानांतरित की जा सकती है यदि वे संयुक्त रूप से आरोप लगा सकते हैं कि एफएसडी साहिबाबाद की सभी चाबियाँ एएम (डी) की हिरासत में रखी जाती थीं। लेकिन जैसा कि पहले ही उपर कहा गया है

कि वे श्री पंछी को प्रभावित करने में विफल रहे हैं, क्योंकि श्री पंछी ने केवल 22.1.1980 के इस फोटोकोपी पत्र की प्राप्ति से इनकार किया है, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोदामों की चाबियाँ गोदाम की हिरासत में रखी गई है, खुद पर आरोप लगाएं।"

13. साथ ही, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता 295 बोरी गेहूं की कमी के लिए भी जिम्मेदार था। इसलिए, यह तर्क देना सही नहीं है कि अपीलकर्ता का गेहूं की कमी से कोई लेना.देना नहीं था। छापे के दौरान उनका आचरण और जिस तरह से कमियां हुईं, उससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनके सक्रिय समर्थन के बिना, अकेले भूप सिंह उक्त दुराचार का कारण नहीं बन सकते थे।

14. अतः हमारा मानना है कि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है। अपीलकर्ता द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने भी, आक्षेपित फैसले के आधार पर, इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

15. हमारे सामने रखी गई सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि उक्त निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

16. इसलिए अपील खारिज की जाती है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मेघना मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।